

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 30.03.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.जवाहिर निषाद पुत्र भुखखल निषाद सा0 कोईलगढ़हा विचला टोला थाना रुद्रपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.भीम चौहान पुत्र विश्वनाथ सा0 बटुलही थाना रुद्रपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. 04 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -

दिनांक 30.03.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्तगण **01.लक्ष्मण शाह पुत्र महावीर शाह सा0 अमवा नकछेद थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार 02.जगलाल कुशवाहा पुत्र राधा किशुन कुशवाहा सा0 परोरही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर 03.रईतु खातुन पत्नी रियासत देवान सा0 गौरशिला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर 04.रुबी खातुन पत्नी कलामुद्दीन सा0 गौरशिला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर** उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) 30प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 30.03.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 60 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 30.03.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 79 वाहनों से 72,000/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।